join the Bhagirathi river and the diversion of waters accumulated in the Bansloi and Pagla Basins to the Ganga river through the Baghmarlu syphon. The area likely to be benefited by the scheme for Rabi cultivation would be about 4100 hectares. The scheme is under final stages of sanction. Preparatory steps for taking up the work have already been taken by the Farakka Barrage Project authorities.

SHRI SACHINDRA LAL SINGHA : May I know from the hon. Minister when the work will start ? And when it be completed ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have already mentioned that the work has already been taken up by the Project Authorities and we cannot just now say when it will be finished and effort will be made to finish it as early as possible.

SHRI SACHINDRA LAL SINGHA : Whether any target date has been fixed for its completion ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : No target date has been fixed so far.

## दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में मूल सुविधायें

*213. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1977 के बाद बनी ऐसी कालोनियों की संख्या कितनी है, जिन्हें सरकार ने अब तक नियमित नहीं किया है और जहां बिजली, पानी की साप्लाई और गलियों को पक्का करने जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) उक्त अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं और इन कालोनियों में से प्रत्येक कालोनी में कितने मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या जून, 1977 के बाद निर्मित कुछ कालोनियों को गिराने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं और इन कालोनियों के लोगों के पुनर्वास के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम उनके ध्यान में आ रहे प्रत्येक अनधिकृत निर्माणों को व्यक्तिगत रूप से नोट कर रहा है तथा प्रत्येक मामले पर कार्यवाही कर रहा है ।

सरकार की कोषित नीति के अनुसार जून, 1977 के बाद बनी अनधिकृत संरचनाएं गिराई जाएंगी । अतः इन कालोनियों में कोई नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसे मामलों में पुनर्वास सुविधाएं देना अनुमेय नहीं है ।

श्री गंगा भक्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आवास मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही असंतोषजनक रूप में दिया है । पूरी तरह से मेरे प्रश्न के उत्तर को टालने की कोशिश की गई है । मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने अनधिकृत संरचनाओं का कोई सर्वे नहीं कराया है । यह कितने ताज्जुब की बात है कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर सरकार ने अभी तक कोई सर्वे नहीं कराया है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम—इनके ध्यान में आ रहे अनधिकृत निर्माणों को व्यक्तिगत रूप से नोट कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले अब तक नोट किए गए हैं और उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : जैसा मैं ने पहले बताया है, जून, 1977 के बाद जो अनधिकृत कालोनी बनी हैं, उन में से जो नोटिस में आई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । जो अभी तक नोटिस में नहीं आई हैं उनका सर्वे कराने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री गंगा भक्त सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कहां कहां ऐसी संरचनायें सर्वे में अभी मंत्री जी के ध्यान में आई हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : सवाल सिर्फ इतना है

"The number of colonies built which have not been approved by Government so far and where civic facilities ....." There is no question of providing civic facilities in unauthorised colonies constructed after June, 1977.

श्री गंगा भक्त सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं है आप प्रश्न को अवायड कर रहे हैं। आप सर्वे करा रहे हैं, तो कोई सर्वे हुआ भी है या नहीं ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सवाल को बिल्कुल एवायड नहीं कर रहा हूं। नोटिस में आने के बाद तुगलकाबाद में इस किस्म के अनअथराइज्ड कांस्ट्रक्शन्स को डिमालिश किया गया है जोकि जून 1977 के बाद बने थे।

श्री गंगा भक्त सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की अनधिकृत कालोनियों की परिभाषा क्या है। यदि सरकार अनधिकृत कालोनियों का निर्माण नहीं होने देना चाहती तो फिर इस प्रकार की कोलोनियों का निर्माण ही क्यों होने दिया जाता है और उन्हें प्रारम्भ में ही क्यों नहीं रोक दिया जाता है ?

श्री सिकन्दर बख्त : अनधिकृत कोलोनीज की परिभाषा यह है कि वे या तो सरकार की जमीन पर अनअथराइज्ड एनक्रोचमेंट हों या जो जमीनें प्राइवेट भी हों उन पर बगैर ले-आउट प्लान के या व्यक्तिगत मकानों का निर्माण करने से पहले म्युनिसिपल कार्पोरेशन की मंजूरी लिए बिना जो रचना होती है उसको अनधिकृत कहते हैं।

जहां तक फौरन रोकने का प्रश्न है उसमें कुछ कानूनी रुकावटें ऐसी हैं कि उनको नोटिस वगैरह दिया जाना जरूरी होता है और जिस दौरान नोटिस दिए जाते हैं कुछ लोग स्टे-आर्डर ले आते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कुछ देरी हो जाती है।

SHRI MANORANJAN BHAKTA : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether the same analogy will be applicable in the case of unauthorised encroachments in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

SHRI SIKANDAR BAKHT : I am sorry, I need your direction whether this question flows from this question.

SHRI MANORANJAN BHAKTA : This is a general question.

MR. SPEAKER : No, No.

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, फरूखाबाद में डिमालिशन का काम किया गया है। इस तरह के केसेज में लाखों गरीब लोग जोकि बसे हुए हैं उनको उजाड़ कर फेंक दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको फिर से बसाने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री सिकन्दर बख्त : फरूखाबाद में कोई डिमालिशन नहीं हुआ है।

श्रीमती मृणाल गोरे : मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस तरह के जो नये अनअथराइज्ड कांस्ट्रक्शन होते हैं उनके अक्रूपाई होने से पहले ही आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते या कोई नया कानून नहीं बना सकते जिससे कि गरीब लोगों के एक बार बस जाने के बाद घरों को फिर तोड़ना न पड़े ?

श्री सिकन्दर बख्त। यह सवाल सरकार के विचाराधीन है कि इस से पहले कि इस प्रकार की रचना कोई बड़ी शक्ल अख्तियार कर ले, उस को कैसे रोका जा सकता है :

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : May I know the number of houses already demolished in unauthorised colonies and the number of houses intended to be demolished in such colonies and also whether you have exceeded the number of houses demolished during emergency.

SHRI SIKANDAR BAKHT : I require notice for this.